प्रेस नोट

दिनांक 10.12.2025

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.12.2025 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 270/2025 धारा 318(4)/317(2) BNS से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को उमरी रोड ग्राम इमिलिया से गिरफ्तार किया गया जिसके पास से धोखाधड़ी के 2940/- रुपये नगद बरामद किया गया व अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 24.11.2025 को वादी श्यामबाबू गुप्ता पुत्र कृष्ण गुप्ता निवासी मुस्करा, जनपद हमीरपुर द्वारा दी गई तहरीर में उल्लेख किया गया कि अज्ञात व्यक्ति उनकी दुकान पर आकर धोखाधड़ी करते हुए 5500 रुपये लेकर फरार हो गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 270/25, धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया था। घटना के समय दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे तथा विवेचना के दौरान प्राप्त पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और मुकदमे उपरोक्त में अभियुक्त को विधि-सम्मत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से धोखाधड़ी की धनराशि में से खर्च की गई राशि को छोड़कर शेष 2940 रुपये बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मोहम्मद मिराज उर्फ अजमेरी उर्फ सोहेल पुत्र मुन्ना (उम्र करीब 23 वर्ष) निवासी निम्नी पार चौकी मरदन नाका थाना कोतवाली नगर बांदा, जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0768/2021 धारा 379/411 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 270/2025 धारा 318(4)/317(2) BNS थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण–

2940 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राजीव कुमार साहू
2. का0 नीरज
3. का0 प्रसून पाण्डेय